न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–नथमल डिडेल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 17/2021 अर्न्तगत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी, हनुमानगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

अशोक बेनीवाल निवासी ग्राम पंचायत रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अप्रार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
हनुमानगढ़

उपस्थितः– 1. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय **दिनांकः–12.03.2022**

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.03.2021 को जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ मय कार्यालय स्टाफ बस स्टैण्ड रासलाना, तहसील भादरा स्थित एक दुकान में पेट्रोल, डीजल का अवैध भण्डारण व बेचान की सूचना पर उक्त दुकान पर उपस्थित हुए। मौके पर दुकान में उपस्थित अशोक बेनीवाल ने स्वयं को दुकान का स्वामी होना बताया। मौके पर अशोक एवं अन्य गवाहों की उपस्थिति में दुकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दुकान में 40 लीटर डीजल मय 2 प्लास्टिक ड्रम, 45 लीटर पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक कैनी व 1 लोहे की कैनी, 6 नाप लोहे के विभिन्न नाप के, 3 लोहे की कीप, 1 हस्तचालित पम्प एवं पेट्रोल डीजल बिक्री का हिसाब लिखी डायरी मिली। मौके पर पाया गया सामान दुकान में डीजल के विक्रय, कारोबार का होना स्पष्ट करता है। मौके पर अशोक बेनीवाल द्वारा उसके पास डीजल विक्रय, कारोबार करने हेतु वैध दस्तावेज, लाईसेंस परमिट आदि नहीं होना बताया एवं फर्द पर बिना हस्ताक्षर किये मौके से फरार हो गया। मौके पर पाये गये 40 लीटर डीजल मय 2 प्लास्टिक ड्रम, 45 लीटर पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक कैनी व 1 लोहे की कैनी, 6 नाप लोहे के विभिन्न नाप के, 3 लोहे की कीप, 1 हस्तचालित पम्प एवं पेट्रोल डीजल बिक्री का हिसाब लिखी डायरी के सम्बन्ध में कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं अवैध भण्डारण एवं कारोबार स्पष्ट होने के कारण 40 लीटर डीजल मय 2 प्लास्टिक ड्रम, 45 लीटर पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक कैनी व 1 लोहे की कैनी, 6 नाप लोहे के विभिन्न नाप के, 3 लोहे की कीप, 1 हस्तचालित पम्प एवं पेट्रोल डीजल बिक्री का हिसाब लिखी डायरी को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री अनिश पुत्र श्री उम्मेद खान उम्र 20 वर्ष जाति मुसलमान निवासी ग्राम पंचायत रासलाना तहसील भादरा की सुपुर्दगी में दिया गया। सुपुर्दगीनामा अलग से लिखवाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस प्रकार अशोक बेनीवाल निवासी ग्राम पंचायत रासलाना तहसील भादरा द्वारा मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 4 का उल्लघंन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 40 लीटर डीजल मय 2 प्लास्टिक ड्रम, 45 लीटर पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक कैनी व 1 लोहे की कैनी, 6 नाप लोहे के विभिन्न नाप के, 3 लोहे की कीप, 1 हस्तचालित पम्प एवं पेट्रोल डीजल बिक्री का हिसाब लिखी डायरी को राजसात करने का आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा डीजल को ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 16.03.2021 को दिये जा चुके है।

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि अप्रार्थी ने खेती–बाड़ी के साथ–साथ जीवनयापन हेतु परचून की दुकान भी घर में कर रखी हैं प्रार्थी की खेती–बाड़ी हेतु स्वयं के पास ट्रैक्टर एवं मोटर–साईकिल भी है। प्रार्थी के ग्राम के नजदीक 15 किलोमीटर में कोई पेट्रोल एवं डीजल का पम्प नहीं है। प्रार्थी का दुकान के साथ ही मकान बना हुआ है जिसमें अपने कृषि कार्य हेतु डीजल और पेट्रोल रखता है। निरीक्षण के दौरान प्रार्थी के घर से ही डीजल एवं पेट्रोल जब्त किया गया था। प्रार्थी डीजल एवं पेट्रोल का कोई व्यवसाय नहीं करता है। प्रार्थी का व्यवसाय कृषि है जिसके लिए 40 लीटर डीजल ट्रैक्टर एवं 45 लीटर पेट्रोल कार एवं मोटर–साईकिल के लिए लाया गया था। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध स्टेट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थी की जब्तशुदा 40 लीटर डीजल मय 2 प्लास्टिक ड्रम, 45 लीटर पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक कैनी व 1 लोहे की कैनी, 6 नाप लोहे के विभिन्न नाप के, 3 लोहे की कीप, 1 हस्तचालित पम्प एवं पेट्रोल डीजल बिक्री का हिसाब लिखी डायरी को वापस लौटाये जाकर जब्ती की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी ने कथन किया कि उसका जबाव ही उसकी बहस है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से डीजल एवं पेट्रोल का भण्डारण कर बिक्री का कार्य करते पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा डीजल एवं पेट्रोल को ड्रम व बिक्री का हिसाब लिखी डायरी के साथ जब्त किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के अवैध डीजल–पेट्रोल रखना व परिवहन करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल एवं पेट्रोल मय प्लास्टिक के ड्रम, कैनी व लोहे की कैनी व लोहे के विभिन्न नाप आदि को राज्य पक्ष में राजसात किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव में बताया है कि उसकी दुकान से कोई सामान जब्त नहीं किया गया। अप्रार्थी का दुकान के साथ ही मकान बना हुआ है जिसमें अपने कृषि कार्य हेतु डीजल–पेट्रोल रखता है। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी के घर से ही डीजल एवं पेट्रोल जब्त किया गया था। अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही समाप्त की जावे। पत्रावली पर उपलब्ध जांच दल की फर्द जांच का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया 40 लीटर डीजल व 45 लीटर पेट्रोल मय बिक्री का हिसाब लिखी डायरी अप्रार्थी की दुकान से ही जब्त करना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव के साथ ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह जाहिर होता हो कि प्रश्नगत डीजल एवं पेट्रोल उसकी दुकान से जब्त नहीं हुआ है। अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव में जो कथन किये गये है वे After Thought होने के कारण मानने योग्य नहीं है। अप्रार्थी से जांच के समय जिला रसद अधिकारी, हनुमागढ़ द्वारा लोहे के 6 माप भी जब्त किये गये हैं। एक और तो वाणिज्यिक परिसर से जब्ती दूसरा माप आदि रखना आदि तथ्य सिद्ध करते है कि अप्रार्थी डीजल का उपयोग स्वयं के कृषि कार्य हेतु नहीं करता, इसके अलावा अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वक्त निरीक्षण डीजल एवं पेट्रोल जब्ती कोई बिल लाईसेंस, परमिट इत्यादि मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये गये थे तथा ना ही अब कोई ठोस दस्तावेज साक्ष्य आदि पेश हुए हैं जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी (स्टेट) का स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा 40 लीटर डीजल मय 2 प्लास्टिक ड्रम, 45 लीटर पेट्रोल मय 2 प्लास्टिक कैनी व 1 लोहे की कैनी, 6 नाप लोहे के विभिन्न नाप के, 3 लोहे की कीप, 1 हस्तचालित पम्प को न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 16.03.2021 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़